राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री कालुराम खोड़ आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या. 271/2016
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 30.06.2016

अनवान

1– श्री नाथू पिता गोरधन जी जाति नाई निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद
.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री जगदीश पिता गोवर्धन जी जाति गुर्जर निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद
2– श्री मुकेश पिता गोवर्धन जी जाति गुर्जर निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद
3– श्री दिनेश पिता गावेर्धन जी जाति गुर्जर निवासी भादला तहसील आमे जिला राजसमंद
4– श्री रघुनाथ पिता भेरा जी जाति गुर्जर निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद
5– श्री हीरा पिता भेरा जी जाति गुर्जर निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद
6– श्री लबू पिता भेरा जी जाति गुर्जर निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद
.....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39
नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय दिनांकः 04.06.2018

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा
अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चुण्डावत

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भादला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद में प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसके आराजी नम्बर नम्बर 875 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि किस्म आराजी चाह प्रार्थी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतोर खातेदारी में दर्ज है। वर्णित भूमि प्रार्थी के एकल स्वामित्व, अधिपत्य एवं खातेदारी की होकर प्रार्थी ही इस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर खा–कमा रहा है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एकमात्र मालिक है तथा प्रार्थी ही उक्त आराजी चाह भूमि पर काबिज है एव वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का ही चला राह है। प्रार्थी वृद्व व्यक्ति है एवं विपक्षीगण उक्त भूमि को प्रार्थी से जबरन ताकत के बल पर हडपना चाह रहे है और इस हेतु प्रयासरत है, जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। सिपक्षीगण, प्रार्थी को धमकियां दे रहे है कि वह जोर

a

Scanned by CamScanner

जबरदस्ती व ताकत के बल पर उक्त वर्णित भूमि को शक्ति एवं गुण्डागर्दी के बल पर प्रार्थी से छीन लेंगे तथा विपक्षीगण ने उक्त भूमि मे खड्डे खोदना प्रांरभ कर दिया, जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नही है। विपक्षीगण नही मान रहे है और देर–सवेर प्रार्थी की गैर मौजुदगी में आए दिन उक्त आराजी चाह भूमि में नुकसान कारित करते है और यही नही विपक्षीगण यह भी कहते है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि मे मकान बनाएंगे एवं वह कब्जा करेगे और वादी को इस आराजी भ्झूमि से बाहर निकाल देगें। विपक्षीगण काफी ताकतवर होकर उंची पहुॅच रखते है। इसी के चलते वह प्रार्थी की भूमि को जबरन हडपना चाहते है, जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नही है। विपक्षीगण दिनांक 23.06.2016 को भी प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजियात पर आये, और प्रार्थी को देखकर विपक्षीगण, प्रार्थी के साथ गाली गलौच करते हुए कहने लगे कि सीधी तरीके से इस जमीन से हट जाना, वरना वह अपने तरीके से जबरन कब्जा करेगें। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 24.06.2016 को थानाधिकारी महोदय, आमेट को लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस चौकी सरदारगढ से हेड कॉस्टेबल श्री महेन्द्र सिंह जी आये, जिनके सामने भी विपक्षीगण लडाई–झगडा करने लगे। विपक्षीगण को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नही रोका गया तो वह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी चाह भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर देगें, एवं कब्जा कर देंगे। न्याय हित में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रोका जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्ट्या मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण के विरूद्व तुरन्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिय सारवाान क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में कदापि संभव नही है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि विपक्षीगण, प्रार्थना–पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम भादला तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 875 रकबा 0.0200 एयर किस्म आराजी चाह भूमि में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग, कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा, रूकावट, दखलन्दाजी पैदा नही करे न ही प्रार्थी की उक्त भूमि में नुकसान पहुॅचावें न ही प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी चाह से बेदखल ही करे, न ही उक्त आराजी मे विपक्षीगण प्रवेश नही करे एवं न ही कब्जा करे। न ही उक्त भूमि मे खड्डे खोदे न ही कोई कार्य करे न ही उक्त कार्य विपक्षीगण स्वंय अपने नोक, चाकर, एजेन्ट या किसी अन्य से करावें। दोराने प्रार्थना–पत्र विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी चाह भूमि में प्रार्थी को बेदखल कर उक्त आराजी चाह भूमि मे किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, अतिक्रमण, कब्जा कर लेवे, तो पुनः विपक्षीगण के खर्चे से पूर्ववत स्थिति कायम करवायी जावें।

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चुण्डावत उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु मौका चाहा गया, जो दिया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.03.2017 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 2 से लगायत 4 अस्वीकार है। विपक्षीगण द्वारा कभी भी ताकत या गुण्डागिर्दी, शक्ति बल पर किसी प्रकार से जमीन छिनने का प्रयास नही किया गया। प्रार्थी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है, वादग्रस्त आराजी नम्बर 873 के साबिक आराजी नम्बर 640 होकर मेवाड समय से ही बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज हाकर उक्त अराजी का उपयोग–उपभोग रास्ते के रूप में किया जा रहा है । प्रार्थी ने उक्त जमीन को गलत रूप से अपने नाम खाते दर्ज करवा कर उसका नम्बर 875 डलवा दिया। वर्तमान मे जो आराजी नम्बर 875 है, वह वास्तव में बिलानाम रास्ता होकर सरकारी है। उसमें प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार नही है। प्रार्थी ने किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से अपने नाम एलोटमेन्ट या रेगुलाईज करवा दी है तो वह भी अवैध एवं गैरकानुनी होकर निरस्त होने योग्य है और प्रार्थी को कोई हक, अधिकार प्राप्त नही होते है। विपक्षीगण प्रार्थी को कभी भी लडाई–झगडा एवं धमकियां नही दी है, न ही प्रार्थी की जमीन जो वादग्रस्त है मे कभी नाजायज रूप से या अनाधिक रूप से प्रवेश कर, खड्डे खोदने प्रारंभ किये हो। वास्तविक कथन इस प्रकार है कि वादग्रस्त जमीन शुरू से ही रास्ते मे दर्ज हो तो प्रार्थी को उक्त जमीन मे किसी प्रकार का हक, अधिकार ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार के कथन किये गये है वह सत्य होकर पूर्णतया अस्वीकार है। प्रार्थी ने दिनांक 24.06.2016 को थानाधिकारी आमेट के यहां गलत एवं झुठी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी ने उक्त जमीन को गलत रूप से अपने नाम खाते दर्ज करवा कर उसका नम्बर 875 डलवा दिया। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 875 रकबा 0.0200 एयर अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करा दी है जो वास्तव में रास्ता है। विपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा नही हुए है। अगर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण एवं आम जनता को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टिया मामला है न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है एवं जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है अगर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण एवं आम जनता को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका एवजाना रूपयों मे आकना कतई संभव नही होगा। आम जनता द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जमाबन्दी आराजी नम्बर 875 की फोटो प्रति एवं पटवारी रिपोर्ट मय मौका पर्चा की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। विपक्षीगण

d

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता ने साबिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, खसरा महकमा बन्दोबस्त जागीरदार की प्रमाणित प्रति एवं खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

दौराने कार्यवाही पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जिलोला में प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 875 रकबा 0.0200 किस्म आ. चा. मे खातेदार के नाम में नाथू पिता गोरधन नाई सा. देह खातेदार दर्ज है। अतः उक्त खसरे मे प्रार्थी खातेदार दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रथम दृष्टया साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भादला पटवार हल्का जिलोला में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 875 रकबा 0.0200 हैक्टर भूमि मे मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी प्रार्थी को बेदखल नही करे, न ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा प्रार्थी के द्वारा हकाई, बुवाई, निन्दाई में किसी प्रकार का विग्न, बाधा ही उत्पन्न करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी रिश्तेदारों, मित्रों, कारीगरों एजेन्टों आदि से करावें। पत्रावली निर्णत होकर मूल वाद संलग्न रहे।

पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कमी हों ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को " न्याय आपके द्वार " अटल सेवा केन्द्र केम्प जिलोला में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

Scanned by CamScanner